और उन्हें अपना एक मांग पत्र भी दिया था। लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन कर्मचारियों को अभी प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी मिलनी है। अभी तक यह सब रुका हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सारे मामले की जांच कराई जाए और जिस तरीके से मालिकों ने कानून और नियमों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कर्मचारियों को उनका प्राविडेंट फंड और ग्रेच्युटी दिलाई जाए।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं एसोशिएट करता हूं।

उपसभापति : ऐसा कर दीजिए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मगर दूसरे लोगों को फिर मौका नहीं मिलता है। फिर सब पहले नाम देते हैं, उनको बोलने दीजिए।

NON-FILLING UP OF LONG-PENDING BACKLOG OF SCHEDULE CASTES/SCHEDULED TRIBES IN THE CENTRAL GOVERNMENT.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आज एक ऐसे मामले की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसकी चर्चा बहुत बार और मैं समझता हूं कि हर सेशन में एक-आध बार जरूर हो जाती है लेकिन फिर भी मामला वहीं का वहीं रह जाता है। फिर वही ढाक के तीन पांत। मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संबंध में मामला है, उससे कभी-कभी सरकार के आदेशों और कभी-कभी न्यायालय के आदेशों से कुछ भांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती। 1989 के एक ऐसे ही आदेश के बारे में माननीय महोदया, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें आरक्षण के कोटे को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने के बारे में सरकार की बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन जो हमारा कार्मिक मंत्रालय है जो असली मायने में, सही मायने में जिसके निर्देशों को विभाग और लोगों में उसका पालन किया जाता है, आरक्षण को पूरा करने में। माननीया मार्ग्रेट आल्वा जी उसकी इर्चाज है और वह इस समय उपस्थित भी हैं। कार्मिक मंत्रालय से एक आदेश सभी विभागों को भेजा गया और उसमें लिखा भी गया है कि आरक्षण का कोटा अति शीघ्र पूरा किया जाए। लेकिन उसके नीचे एक लाईन यह स्पष्ट लिखदी गई कि अगर जगह न हों, अगर रिक्तियां न हों, तो आरक्षण कोटा पूरा किया जाना आवश्यक नहीं है। नतीजा यह हुआ कि किसी ने भर्ती नहीं की, फिर वहीं के वहीं रह गए। आज भी बैक लग को पूरा करने के लिए इस सदन में मामला उठाते रहे हैं, लेकिन कहीं कोटा पूरा नहीं हुआ। फिर सरकार की एक घोषणा हुई है कि इन अनुसूचित जाति और जनजाति की रिक्तियों को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। आज फिर माननीया मार्ग्रेट आल्वा जी के मंत्रालय से जारी निर्देशात्मक पत्र जो डी.ओ. लैटर है, सदन के सामने मैं उसका संदर्भ देना चाहता हूं। चाहें तो नम्बर बतला सकता हूं। यह 28 जुलाई का जारी हुआ है। इसमें यह लिखा गया है कि :

"The drive is being undertaken to fill up the backlog vacancies for SC and ST."

इसमें यह साफ लिखा है कि यह स्पेशल भर्ती का अभियान चलाया जाना है। लेकिन फिर उसी के नीचे लिखा हुआ है कि :

"The above instructions provide for backlog vacancies being shown separately for purposes of recruitment. If the backlog so computed together with the current vacancies reserved for SC/ST exceeds 50 per cent of the vacancies to be filled during a year, it may be limited to 50 per cent of the vacancies."

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इतना खतरनाक आदेश है कि जिसका बिल्कुल ही विपरीत असर विभागों पर पड़ेगा। यह विशेष अभियान है शैडयूल्ड कास्ट की भर्ती को पूरा करने लिए, उनके कोटे को पूरा करने के लिए जो स्थान बहुत दिनों से रिक्त पड़े हैं। लेकिन फिर भी इसमें कह दिया गया है कि जो भर्ती हो और उसमें वर्तमान जो खाली रिक्तियां हों उनको जोड़कर के अगर 50 फीसदी आरक्षण होता हो, ज्यादा हो तो फिर भी वह 50 फीसदी ही उसमें भरा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से शैडयूल्ड कॉस्ट की ही भर्ती की जा रही है, तो उसमें 50 परसेंट का सवाल कहां से पैदा हो जाता है? इसका नतीजा यह होगा कि विभाग सीधे-सीधे उसमें 50 फीसदी भर्ती करेंगे और 50 फीसदी दूसरे लोगों को दिया जाएगा। तो मेरी आशंका यह है कि जब हमारी भर्ती की जानी थी तो हमारा हिस्सा भरा नहीं गया और उसे दूसरे लोगों से भर दिया गया।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): I would just like to point out that there was a recent judgment of the Supreme Court when the entire question of reservations had come up. They have said that reservations shall not exceed... (*Interruptions*)... fifty per cent. In view of that, a circular had been issued. But I would like to clarify that, the issue was raised in the other House; a meeting of all the leaders was called by the Speaker in which Minister for Social Welfare and other officials were called; and the matter was sorted out. And, it had been decided that a fresh circular would be issued. The whole matter has been sorted out amicably after the issue was raised in the other House and dicussed. Also, the necessary instructions are being issued, or have already been issued.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): While issuing instructions, the quantum of appointments against the total backlog is limited to fifty per cent. That means the backlog will never be completed. (*Interruptions*)... This should be taken note of. The instructions should be suitably modified.

SHRIMATI MARGARET ALVA: It was because of the judgment of the Supreme Court that there was some confusion. But the Government has since issued a clarification and sorted out the problem.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): अपने को इससे ऐसोसिएट करता हूं लेकिन मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूं कि कोई टाईम-टेबल बता दीजिए कि इतने समय में जो बैकलॉग है उसे फुलफिल कर दिया जाएगा और क्लास वन और क्लास टू में भी जितना कोटा है, वह आगामी 5 बरस के अंदर तो कम से कम फुलफिल हो जाए। नहीं तो कितनी सेंचुरीज तक हमको ले जाएंगे? उनका कोटा फुलफिल नहीं होता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसके लिए कोई टाईम-बाउंड प्रोग्राम हो।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: मैं तो टाईम-शैड्यूल इसम नहीं बोल सकती हूं क्योंकि जहां वैकेन्सीज हैं, उनको तो हम ऐडवर्टाईज करते हैं। उनके लिए इंटरव्यू स्पैशल रिक्रूटमेंट ड्राईव में रखते हैं। जो भी प्रोसेस है, इसको हम चालू करते हैं। अगर लोग अवलेबल हैं, आ जाएंगे रिक्रूटमेंट में तभी तो हम फिल-अप कर सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: तब तो अगली सेंचुरी तक जाएगा।

SMT. MARGARET ALVA: You cannot blame me for that. I can recruit only those who are available. I cannot fix any time-limit to fill up... (*Interruptions*).

उपसभापति : जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, साधारण जवाब है।

श्री चतुरानन मिश्र : दलित छात्रों को योग्य बनाने का काम सरकार का काम है। अभी काफी समय है। बैकलॉग में भी और क्लास वन और क्लास टू में भी उनका कोटा नहीं भरता। इसलिए एक प्रोग्राम बना दीजिए और उसको फुलफिल कर लीजिए 6-7 बरस में अभी तो टाईम है। अगली शताब्दी तक इसको मत ले जाइए।

उपसभापति : चलिए, गौतम जी, अभी आगे चलें। आपका हो गया?

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : अभी तो मैडम, मैंने थोड़ा सा और कहना है।

उपसभापति : आपने कह दिया, उस पर जवाब भी दे दिया। अभी और भी नाम हैं।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : उसी जवाब के बारे में मैं और कहना चाहता था। बीच में मंत्री महोदया ने इंटरवीन किया।

उपसभापति : आप के एम.पी. हाई-जैक कर लेते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो आदमी नाम दे, उसको ही बोलना चाहिए पहले।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : महत्वपूर्ण विषय है मैडम, थोड़ा समय दे दीजिए।

उपसभापति : चलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो बैकलॉग इधर भी हो रहा है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय मंत्री जी ने अभी बीच में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उसमें सहारा लिया गया है, इसलिए वह किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि बैकलॉग की रिक्तियों के बारे में ऐसा होगा। उन्होंने डॉयरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में 50 परसेंट कहा है। इसी तरह से पदोन्नितयों के बारे में भी आजकल कहा जा रहा है कि सारी पदोन्नितियों में आरक्षण खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लेकिन सुप्रीम कतर्ट के आदेश ने कहीं भी पदोन्नितियों में आरक्षण अभी तक खत्म नहीं किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां से स्पष्टीकरण नहीं जाता विभागों को।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : आप जो कह रहे हैं, आप पुराने सरकुलर को क्वोट कर रहे हैं। यह नया सरकुलर इशू हो गया है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : मैं जानना चाहता हूं कि वह किस डेट में इशू हुआ है? यह तो 28 जलाई का है।

उपसभापति : आप उस सरकुलर की कॉपी उनको दे दीजिए।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : आप उस सरकुलर की कॉपी दे दीजिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): On 9th of this month, we issued a circular to this effect. (*Interruptions*). Yes, we will send a copy.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : महोदया मैं दो-तीन सुझाव दे करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रांतियां जो सरकुलर से पैदा होती हैं, कहीं इसमें हमारी राजनीतिक इच्छा की कमी तो नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वाकई में आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो होना यह चाहिए, जैसे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं पहले क्या होता था कि नॉन-अवेलिबिलिटी ऑफ दि कैंडीडेट्स हो जाता था और

हमारी जगह खाली रह जाती थीं। बीच में आया कि ऐलिजिबिलिटी नहीं है, कैंडीडेट्स हमारे योग्य नहीं हैं, इसका सहारा लिया गया और अब आ गया है जोन ऑफ कंसीडरेशन। हम उस जोन ऑफ कंसीडरेशन में नहीं आते। इसलिए बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर यही सहारा लिया जाएगा, बार-बार प्रतिबंध खड़े किए जाएंगे तो मैं यही कहूंगा कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि हमारा बैकलॉग कम हो। अगर इनका बैकलॉग कम करना चाहते में तो इन पदोन्नतियों में जो अनारक्षण हो जाता है, डि-रिजर्वेशन हो जाता है उसको क्यों नहीं आप बंद कर देते हैं। बार-बार उनकी रिक्तियों को भर लेते हैं और हमारा बैकलॉग बढ़ जाता है। इसलिए आरक्षण कोटा को यदि पूरा करना है और उसमें अगर किसी अधिकारी ने कोई कमी रखी है तो उसके खिलाफ पैनल ऐक्शन रखिए।

एक बात और है कि जो आरक्षण कोटे को भरने में मदद करने के लिए जो कर्मचारी संगठन काम करते हैं उनकी मान्यता का प्रश्न बहुत दिनों से लंबित है। ये संगठन आपकी सरकार की भी मदद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वह कांस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है। तो मैं इन शब्दों के साथ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई इच्छा शक्ति हैं तो आरक्षण को कोटा रखिए, उसको पूरा कीजिए।

उपसभापति: आपने जो सुझाव दिए है मंत्री जी ने उनके बारे में बोल दिया है। एक बात मुझे यह कहनी है कि नेशनल कमीशन आफ सफाई कर्मचारी बिल आया है। उसमें तय हुआ था कि वगैर डिस्कशन के पास होगा। अगर सब लोग उसमें तैयार हैं.....

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Madam, I may be given five minutes. (*Interruptions*)

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): We will pass it without discussion. (*Interruptions*)

SHRIMATI MARGARET ALVA: If one party speaks, all are bound to speak. (*Interruptions*)

श्री ऐच. हनुमंतप्पा : मैंने एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया है, उसका सारा डिस्कशन कर सकते हैं। If the House so agress, thr whole thing can be discussed and we can pass this Bill without discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We will look into the matter of the Calling Attention. I do not know as to what it is. If time permits, we will allow it.

आप भी मंत्री जी को बोल दीजिए क्या आपका सुझाव है। आप बोलेंगे तो मेरे पास कोई वजह नहीं है कि दूसरों को न बोलने दूं। अगर आपको दूंगी तो सबको देना पड़ेगा। ... (व्यवधान) मंत्री जी आप जो सुझाव दे रहे हैं उसको सुन लीजिए, अगर उसमें कुछ निर्णय ले सकते हैं तो जरूर देख लीजिए क्योंकि उनके कुछ अच्छे सुझाव हैं। और भी कुछ सुझाव देने हैं तो दे दीजिए। मंत्री जी अब आप अपना बिल मूव कीजिए।

Now, if the House so agrees, we can pass that and then we can continue with the Special Mentions because if I do it, it will be faster. Now, we will finish this Bill first.

THE NATIONAL COMMISSION FOR SAFAI KARMCHARIS BILL, 1993

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): Madam Deputy Chairman, I move:

"That the Bill to constitute a National Commission for Safai Karamcharis and provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."